यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी, देहारादून उत्तराखंड** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

यह कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी, देहारादून, उत्तराखंड के माह 09/2018 से 09/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय त्यागी, श्री मुकेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री एसआर मीणा, व. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 20.10.2020 से 26.10.2020 तक श्री पुष्कर, व. लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मुन्ना राम, लेखापरीक्षक द्वारा श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे दिनांक 24.9.2018 से 27.9.2018 तक संपादित की गयी जिसमे 03/2012 से 08/2018 तक के अभिलेखो की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2018 से 09/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच संपादित की गयी।
2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**- इस संस्थान मे प्रशिक्षार्थियों को उद्योगों की आवश्यकतानुसार भारत सरकार डीजीटी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर अनुदेशकों द्वारा विभिन्न व्यवसायों मे तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान की जाती है। कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र उत्तराखंड के गढ़वाल मण्डल के देहारादून जिला (विशेषकर मसूरी के क्षेत्र) के सम्पूर्ण क्षेत्र है।

   (ii) (अ) लेखापरीक्षा अवधि का बजट आबंटन एवं व्यय (राज्य सैक्टर) की स्थिति निम्नवत हैः

   (₹`लाख में)

वर्ष	योजना का नाम/लेखाशीर्ष) (कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग)	आवंटन	व्यय	समर्पण/बचत
2017-18	2230030030300	73.92	71.20	2.72
2018-19	2230030030300	71.94	70.86	1.08
2019-20	2230030030300	8.55	81.74	-73.19
2020-21 (8/20)	2230030030300	7.64	50.52	-42.88

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम/लेखाशीर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	आवंटन	योग	व्यय	अंतिम अवशेष (बैंक में)
2017-18						
2018-19						
2019-20						
2020-21 (8/20)						

(ii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य श्रोत राज्य सरकार/केंद्र सरकार है। स्थापना एवं गैर स्थापना व्यय/योजनांतरगत व्यय को सम्मलित करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है।

3 (i) विभाग का संगठनात्मक (उत्तराखंड शासन) ढांचा निम्नवत हैः-

1. सचिव
2. अपर सचिव
3. निदेशक
4. अपर निदेशक
5. प्रधानाचार्य
6. अनुदेशक
7. समूह ग एवं घ कर्मचारी
8. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः**- लेखापरीक्षा में **कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी, देहारादून उत्तराखंड** के 09/2018 से 09/2020 की अवधि को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी, देहारादून उत्तराखंड** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। इस लेखापरीक्षा मे माह 07/2019 & 07/2020 (Treasury head-BM 5) को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय की धनराशि के आधार पर किया गया।

(ii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा- 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- 2'ब'

प्रस्तर 1:- विभागीय उदासिनता के फलस्वरूप पर्याप्त स्थल के अभाव में 'उन्नयन योजना' 10 वर्षों से संस्थान में लम्बित पाया जाना।

कार्यालय राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान मसूरी की लेखापरीक्षा के दौरान संस्थान मे संचालित उन्नयन योजना की संवीक्षा की गयी जिसमे पाया गया कि डी जी ई टी श्रम मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 1396 सरकारी औधोगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन योजना का प्रारम्भ वित्तीय वर्ष 2007-08 में किया गया। योजना के तहत पी पी पी के अधीन संचालित उत्तराखंड में 43 औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान पाये गये, जिसमे राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी योजना से आच्छादित पाया गया। योजना के तहत संस्थान मे संचालित पूर्व ट्रेड का उच्चीकरण, नये ट्रेड कि स्थापना के लिए सिविल वर्क कराये जाने थे तथा उदेश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा मे यंत्र-संयंत्र का संचालन किया जाना था परन्तु संस्थान का अपना भूमि-भवन न होने के कारण योजना वर्ष 2007 से क्रियान्वयन कार्य संस्थान मे बाधित पाया गया जो वर्ष 2010 से पूर्ण रूप से ठप है। भूमि की उपलब्धता के संबन्ध में लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत पत्रावली की जांच मे पाया गया कि प्रधानाचार्य के अधिकांश correspondence letter प्रमाणित कर रहे थे कि भूमि के संबन्ध मे जो भी पहल किया जा रहा था वह एकतरफा संस्थान की ओर से हो रहा था, प्रत्युत्तर मे विभागीय टिप्पणियाँ मे बड़े अन्तराल तथा उत्सुकता की कमी देखी गयी तथा लेखापरीक्षा तिथि तक इकाई से कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका कि निकट भविष्य मे कब तक भूमि प्राप्त हो जायेगी।

इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया कि तत्समय योजना में स्वयं की भूमि व भवन की बाध्यता नहीं थी एवं यह संस्थान राजकीय घनानन्द इंटर कालेज के भवन में निशुल्क संचालित है। भूमि भवन जिसमें संस्थान संचालित है, को संस्थान के नाम स्थानान्तरित होने की प्रक्रिया गतिमान है। साथ ही संस्थान द्वारा प्रेषित नये इंडस्ट्री पार्टनर का प्रस्ताव शासन मे विचाराधीन है। उक्त पर स्वीकृति प्राप्त होने पर लंबित उच्चीकरण के कार्य संपादित किये जायेंगे ।

इकाई का उत्तर लेखापरीक्षा मे संतोषजनक नहीं पाया गया, योजना के तहत संस्थान मे सिविल कार्य कराये जाने थे जिसका निष्पादन तभी सम्भव था जब संस्थान के नाम भूमि व भवन प्राप्त होता। संस्थान मे योजना का चयन करते समय इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया फलतः उच्चीकरण के कार्य संस्थान मे 2007 से बाधित पाये गए।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-02 ब

प्रस्तर 2:- वाहन चालक के पद का इकाई स्तर पर अनावश्यक रूप से सृजित पाया जाना ।

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय ओधोगिक प्रशिक्षण संस्थान मसूरी देहरादून के द्वारा सम्प्रेक्षा को प्रस्तुत स्वीकृति पदो के सापेक्ष कार्यरत पदो की सूची से संबन्धित लेखा अभिलेख की सम्प्रेक्षा जांच एवं अवलोकन मे पाया गया कि ज़िला अधिकारी देहरादून के पत्र संख्या -497/उ0खा0रा0आ0/नियुक्ति/05/ दिनाक -29/01/2005 के अनुपालन मे कार्यालय के पत्र संख्या 0302/05/2108-15 दिनाक-07/03/2005 द्वारा श्री मोहन सिंह खत्री वाहन चालक के पद पर उक्त संस्थान के **Tourism Guide** व्यवसाय(**TRADE)** के बस संचालन/प्रशिक्षार्थियों के फील्ड **visit** एवं **tour** प्रयोजन हेतु नियुक्ति की गयी थी । परन्तु , इकाई स्तर पर सम्प्रेक्षा को प्रस्तुत अभिलेखो के अनुसार **Tourism Guide** व्यवसाय(**TRADE)** का वर्ष-2014 से संचालन करना नहीं पाया गया जिसकी पुष्टि इकाई द्वारा निदेशालय को प्रेषित पत्र संख्या -स्था/2016/217/ दिनाक -24/05/2016 के माध्यम से सम्प्रेक्षा मे हुई । आगे सम्प्रेक्षा जांच मे पाया गया कि उक्त वाहन चालक का स्थानांतरण जहां वाहन चालक का पद सृजित था तथा **MOTER DRIVING** या **Tourism Guide** व्यवसाय का संचालन किया जा रहा था, नहीं किया गया था । संस्थान स्तर पर **Tourism Guide** व्यवसाय(**TRADE)** का संचालन वर्ष-2014 मे बंद होने के बाबजुद भी सम्प्रेक्षा तिथि-10/20 तक प्रदेश स्तर पर मौजूद उक्त संस्थान मे तेनाती पायी गयी जिसकी पुष्टि इकाई द्वारा निदेशालय को प्रेषित पत्र संख्या -स्था/2016/217/ दिनाक -24/05/2016 एवं नोडल प्रधानाचार्य राजकीय ओधोगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक) निरंजनपुर माजरा देहरादून दिनाक -29/09/2019 द्वारा की गयी । आगे सम्प्रेक्षा जांच मे पाया गया कि वाहन चालक से इकाई द्वारा सम्प्रेक्षा तिथि -10/20 तक कार्यालय का कार्य कराया जा रहा था, जिसके सापेक्ष वर्ष-2014 से 10/2020(सम्प्रेक्षा तिथि) तक उक्त वाहन चालक को कुल र 26.05 लाख का संस्थान द्वारा भुगतान किया जा चुका था । सम्प्रेक्षा द्वारा जांच मे पाया गया कि संस्थान स्तर पर वर्ष -2014 से 2019 तक कोई भी वाहन , वाहन चालक के लिए संचालन हेतु उपलब्ध नहीं था , फिर भी इकाई स्तर पर वाहन चालक का पद सम्प्रेक्षा तिथि-10/20 तक यथावत बना हुआ था एवं जिस प्रयोजन के लिए वाहन चालक की नियुक्ति संस्थान स्तर पर की गयी थी उसकी प्रयोजन की पूर्ति होना नहीं पाया गया था तथा उक्त कार्य 4200 ग्रेड **pay** के वरिष्ठ कर्मचारी से कार्यालय के कार्य के संचालन हेतु क्रियावयन्न कराया जा रहा था, परंतु इकाई एवं निदेशालय दोनों स्तर पर उदासिनता एवं शिथिलता से स्वीकृत पद के सापेक्ष समकक्ष कार्य से संबन्धित कर्मचारी से कार्य का संचालन करना सम्प्रेक्षा जांच मे नहीं पाया गया । सम्प्रेक्षा द्वारा इकाई से उक्त उदासिनता एवं शिथिलता के बारे मे पूछने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर मे लेखा परीक्षा कार्यालय को अवगत कराया कि संस्थान द्वारा उक्त कर्मचारी के स्थानांतरण हेतु निदेशालय से

समय-समय पर अनुरोध किया गया है परन्तु कारवाई उनके स्तर पर लंबित है । संस्थान स्तर पर वाहन चालक का पद पर कार्यरत कार्मिक नियमित है , कार्मिक से संस्थान सम्बन्धी अन्य कार्य एवं कोषागार से संबन्धित कार्य लिए जा रहे है एवं नियमानुसार वेतन का भुगतान किया जा रहा है । सम्प्रेक्षा मे इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि जिस पद/ट्रेड के संचालन के लिये ज़िला अधिकारी देहरादून के पत्र संख्या -497/उ0खा0रा0आ0/नियुक्ति/05/ दिनाक -29/01/2005 के द्वारा वाहन चालक के लिये नियुक्ति की गयी थी वह पद/ट्रेड वर्ष-2014 मे समाप्त हो चुका था उसके बाबजुद भी अनावश्यक रूप से वाहन चालक का पद विभाग स्तर पर 06 वर्ष से बना हुआ है एवं संस्थान द्वारा उक्त कर्मचारी के स्थानांतरण ऐसे विभाग मे नहीं किया गया जहां उसकी आवश्यकता थी । प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/वर्ष	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
SS/122/2018-19	**1**	-	**-**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या			अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	भाग-दो-अ	भाग-दो-ब	STAN			
SS/122/2018-19	**1**	-	**-**	अप्रस्तुत	*अनुपालन आख्या के अभाव मे यथावत	यथावत

***इकाई के द्वारा शासन/उच्च अधिकारी से संस्तुत अध्यतन अनुपालन आख्या नहीं प्रस्तुत किया गया। इसलिए प्रस्तर यथावत रखा जाता है।**

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

------शून्य-------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी, देहारादून, उत्तराखंड** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः - शून्य
3. सतत् अनियमितताएः - शून्य
4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया था;

क्र. सं.	नाम	पद नाम	अवधि
01	श्री संजीव कुमार	प्रधानाचार्य	09/2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मसूरी, देहारादू, उत्तराखंड** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, देहरादून - पिन- 248195 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/एएमजी-I